



भारत सरकार
Government of India
खान मंत्रालय
Ministry of Mines
भारतीय खान ब्यूरो
Indian Bureau of Mines
Mine Code: 38RAJ09009

माखपुरा औद्योगिक क्षेत्र,
Makhupura, Industrial Area
अजमेर – 305 002 (राजस्थान)
Ajmer- 305 002 (Rajasthan)

संख्या E/8712/MCDR-MiFLOLST/34/2023-AJM-IBM_RO_AJM

दिनांक : 20.09.2024

प्रेषित: एजेंट, भाटकोटडी लाइमस्टोन माइन,
मैसर्स वंडर सीमेंट लिमिटेड, पो. आ.- आर.के. नगर,
तहसील-निम्बाहेड़ा, जिला-चित्तोडगढ़ (राजस्थान)
Email- info@wondercement.com, op.rajpurohit@wondercement.com

विषय : Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your
Bhatkotri Limestone Mine (M.L. 22/2007, Lease area 740.93 Hect.) in Chittorgarh District of
Rajasthan State.
महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 21.08.2024 by the undersigned in presence of Shri Raju Jain, Mines Manager:

Rule No.	Nature of violation observed in detail
Rule 11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Modification of Review of Mining Plan (Approved on 18.11.2022): 1) During the year 2023-24, the Ore to OB ratio was proposed 7.76 whereas actual Ore to OB ratio was achieved 10.63 it shows that proportionate mine development has not been carried out as per proposal. 2) During the year 2023-24, total 435900T (which is 3% of total ROM quantity 14530000T) mineral reject generation was proposed whereas actual mineral reject generated 44650T (which is 0.59% of total ROM quantity 7569346T), it shows that no proper assessment of mineral reject generation has been carried out.

02 इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत :

- (क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।
- (ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
- (ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03 अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय

(डी.आर. गुर्जर)
उप खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि, सूचनार्थ प्रेषित : -

1. खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ईमेल द्वारा)।
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. सहायक खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, निम्बाहेड़ा, जिला-चित्तोडगढ़।
4. रक्षित पत्रावली।